(5)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

इजलास – श्री संतोष कुमार मीना (आर ए एस)
प्रकरण संख्या – 7 / 2020 / प्रार्थना पत्र

उनवान

1. ईश्वरसिंह पि. धीसूलाल जाति राजपूत नि. रमाय दलपत तहसील पिडावा
2. अनारसिंह पि. दरयावसिंह जाति राजपूत नि. रमाय दलपत तहसील पिडावा

– प्रार्थीगण

बनाम

1. गजेन्द्रसिंह पि. शिवलाल जाति राजपूत नि. रमाय दलपत तहसील पिडावा
2. मृतक – बृजराजसिंह पि. शिवलाल जाति राजपूत नि. रमाय दलपत
2/1 योगेन्द्रसिंह पि. बृजराजसिंह जाति राजपूत नि. रमाय दलपत तहसील पिडावा
2/2 रविना कुंवर पुत्री बृजराजसिंह जाति राजपूत नि. रमाय दलपत तहसील पिडावा
3. शिवकुंवर पत्नि गजेन्द्रसिंह जाति राजपूत नि. रमाय दलपत तहसील पिडावा
4. मृतक नंदकुंवर पत्नि बृजराजसिंह जाति राजपूत नि. रमाय दलपत तहसील पिडावा

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील प्रार्थी – श्री अशोक पाटीदार
वकील अप्रार्थीगण – श्री प्रेमचन्द चौधरी

निर्णय दिनांक : 12/04/2022

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता धारा 251 ए रा. टी.एक्ट. के अर्न्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रमायदलपत के खाता सं. 7 की आराजी ख.नं. 383 रकबा 5 बीघा व ख.नं. 498 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा भूमि प्रार्थी ईश्वरसिंह के सहखातेदारी की है तथा ख.नं. 658/500 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि खाता सं. 7 की आराजी ख.नं. 405 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा व ख.नं. 658/500 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रार्थी अनारसिंह के खातेदारी की है। ग्राम रमाय दलपत की बहुत कृषि भूमि गागरीन सिंचाई परियोजना में डूब में आ जाने से उक्त आराजियात में आने जाने का रास्ता डूब में आ गया है जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजी पर नहीं पहुँच पा रहे है एवं कृषि [illegible] नहीं कर पा रहे है। प्रार्थीगण की आराजी में पहुँचने के लिये [illegible] भूमि से होते हुये अप्रार्थीगण गजेन्द्रसिंह व बृजराजसिंह के ख.नं. 625/[illegible] की मेड से होते हुये

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.04.13 14:05:09 IST
Reason: SelfAttested

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

(6)

चाहते है। इससे आगे ख.नं. 497 की पूर्वी मेड पर व ख.नं. 395 में आगे रास्ता बना हुआ है जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजी तक पहुँच सकते है।

प्रकरण में उभयपक्ष को सुनकर भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट एवं तहसीलदार पिडावा से जांच रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 13.07.2018 को निर्णय पारित किया गया जिसके अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम रमाय दलपत की आराजी ख.नं. 625/397 भूमि के खातेदार शिवकुंवर पत्नि गजेन्द्रसिंह ,नंदकुंवर पत्नि बृजराजसिंह ,गजेन्द्रसिंह बृजराजसिंह पिसं. शिवलाल नि. रमायदलपत को 150300 रुपये प्रति बीघा सिंचित भूमि की दर से जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित दर का दोगुना प्रतिकर ख.नं. 625/397 में लम्बाई 742 फीट व चौडाई 10 फीट कुल 7420 वर्ग फीट भूमि अर्थात 6 बिस्वा भूमि का राशि 90180 रुपये अप्रार्थीगण को मुआवजा स्वरुप भुगतान किये जाने आदेश दिया जाकर तहसीलदार पिडावा को ग्राम रमायदलपत की आराजी ख.नं. 625/397 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि में से 6 बिस्वा भूमि सार्वजनिक उपयोगार्थ गे.मु.रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये थे जिससे अप्रसन्न होकर अप्रार्थी सं. 3 शिवकुंवर द्वारा माननीय न्यायालय भू.प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 13.12.2019 को जारी निर्णय अनुसार इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.07.2018 को अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित के दिशा निर्देश प्रदान किये गये।

प्रकरण में दौराने सुनवाई दिनांक 19.07.2021 को अप्रार्थी सं. 3 शिवकुंवर द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की 6 बिस्वा वादग्रस्त भूमि में मौके पर प्रार्थीगण का रास्ता दे दिया गया है इसलिये दिनांक 13.07.2018 को किये गये निर्णय अनुसार भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जावे जिसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार का प्रार्थना पत्र अन्य अप्रार्थीगण की ओर से भी जरिये एडवोकेट प्रस्तुत किया एवं क्षतिपूर्ति हेतु निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान किये जाने का अनुरोध किया।

प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें पाया कि ग्राम रमाय दलपत की आराजी ख.नं. 625/397 में लम्बाई 742 फीट व चौडाई 10 फीट कुल 7420 वर्ग फीट भूमि अर्थात 6 बिस्वा भूमि सार्वजनिक उपयोगार्थ नवीन रास्ता कायम कर अप्रार्थीगण को भूमि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.04.13 14:05:09 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

हुई क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा राशि 90180 रूपये जो कि राजकोष में जमा है का भुगतान किया जाना उचित है।

अतः प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य हुई आपसी सहमति अनुसार तहसीलदार पिड़ावा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम स्याम पलायत की आराजी ख.न. 825/397 में लम्बाई 742 फीट व चौड़ाई 10 फीट कुल 7420 वर्ग फीट भूमि अर्थात 8 बिस्वा भूमि सार्वजनिक उपयोगार्थ ग्रे.मु.रास्ता दर्ज कर अप्रार्थीगण को भूमि की हुई क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा राशि 90180 रूपये अक्षरे नब्बे हजार एक सौ अस्सी रूपये का भुगतान अप्रार्थीगण को करना सुनिश्चित करें।

आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संतोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)
पिड़ावा जिला झालावाड़

COURT 2022

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.04.13 14:05:09 IST
Reason: SelfAttested